भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2814

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

2814 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गड्ढों, सड़क के सतहों की खराब स्थिति अथवा अन्य सुरक्षा संबंधी कमियों के कारण तत्काल मरम्मत अथवा पुनः सतहीकरण की आवश्यकता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों तथा घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का समय-समय पर स्वतंत्र सड़क सुरक्षा संपरीक्षा कराती है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उसके निष्कर्ष तथा की गई सुधारामक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों की समयबद्ध मरम्मत, सड़क चिह्नों, संकेतकों तथा यातायात संकेतकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी के लिए कौन सा तंत्र विद्यमान है तथा अनुपालन न करने पर रियायतधारकों अथवा ठेकेदारों पर लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खराब/क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबाई **अनुलग्नक** में दी गई है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त खंडों पर तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन का कार्य किया गया है, ताकि वे यातायात योग्य स्थिति में रहें।

(ख) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्ज सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

कैलेंडर वर्ष	**दुर्घटनाओं की संख्या**	**मौतों की संख्या**	**घायलों की संख्या**
2024	150,958	64,772	145,868
2025	143,526*	62,122*	160,224*
2026 (27.07.2026 तक)	77,234*	32,771*	89,560*
***- इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) के आंकड़ों पर आधारित (अनंतिम)**			

(ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशानिर्देशों, नियमावली, कार्यप्रणाली संहिता और सड़क एवं पुल निर्माण संबंधी विशिष्टताओं के अनुसार किया जाता है। डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों में आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। सभी चरणों अर्थात् डिज़ाइन, निर्माण, उद्घाटन-पूर्व चरण में स्वतंत्र मूल्यांकन करने और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन एवं रखरखाव के दौरान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी ऑडिट के निष्कर्षों (जिनमें आमतौर पर अपर्याप्त सड़क चिह्नांकन, संकेतक, क्रैश बैरियर, ओवरपास/अंडरपास/फुट ओवरब्रिज आदि की कमी जैसे मुद्दे शामिल होते हैं) के आधार पर समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) सरकार ने मौजूदा एनएच नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ एनएच खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार इष्टतम स्तर की सेवा में गड्ढों की मरम्मत और सड़क चिह्नांकनों और संकेतकों का रखरखाव शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों, जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध सौंपे जा चुके हैं, के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) की जिम्मेदारी दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/ठेकेदारों होती है। इसी प्रकार, टीओटी (टोल संचालन एवं हस्तांतरण) और इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) के तहत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी भी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की होती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्राधिकरण के अधिकारियों को डीएलपी/रियायत अवधि की समाप्ति के छह माह के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि दोषों के निवारण और रखरखाव की स्थिति की जांच की जा सके। ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा न करने की स्थिति में, डीएलपी/रियायत अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया भी जा सकता है।

चूक करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जैसे अनुबंध करार समाप्त करना, जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाना, प्रतिबंधित करना/ब्लैकलिस्ट करना,

विफलता के लिए "अपूरणीय क्षति पहुंचाने वाली" घोषित करने सहित गैर-निष्पादक घोषित करना आदि शामिल है।

देश में कुल 1.46 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से लगभग 36,000 किलोमीटर का विकास किया जा रहा है, 58,000 किलोमीटर डीएलपी/रियायत अवधि के अंतर्गत है और 41,000 किलोमीटर का रखरखाव कार्य मुख्य रूप से अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) और निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) के तहत किया जा रहा है। और इसमें 4,000 किलोमीटर लंबाई का बीआरओ के माध्यम से विभागीय रूप से रखरखाव भी शामिल है। सरकार ने रखरखाव के तहत 100% एनएच नेटवर्क कवरेज के लक्ष्य की ओर पूर्ण परिवर्तन की योजना के हिस्से के रूप में 2026-27 के दौरान 20,000 किलोमीटर में रखरखाव करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में दोष सुधार सहित गुणवत्ता की निगरानी शुरू की है। यह आंतरिक हितधारकों (फील्ड अधिकारियों/इंजीनियरों/ठेकेदारों/रियायतग्राहियों) द्वारा सीधे साइट से दोषों को दैनिक और मासिक आधार पर डिजिटल रूप में दर्ज, निरीक्षण के लिए जियो-टैग करने और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें प्रस्तुत करने तथा परीक्षण परिणामों को डिजिटल रूप से अपलोड करने के माध्यम से कुशल राजमार्ग परियोजना प्रबंधन सुगम बनाता है।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति' के संबंध में श्रीमती सागरिका घोष द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2814 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान खराब/क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबाई:-

				लंबाई (किलोमीटर में)
क्र.सं.	**राज्य**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	125	222	196
2	अरुणाचल प्रदेश	2	37	54
3	असम	48	85	82
4	बिहार	6	7	10
5	छत्तीसगढ	0	27	7
6	गुजरात	32	210	408
7	हिमाचल प्रदेश	11	7	29
8	झारखंड	8	6	47
9	कर्नाटक	3	16	21
10	केरल	3	3	44
11	मध्य प्रदेश	119	285	237
12	महाराष्ट्र	160	152	145
13	मणिपुर	18	22	26
14	मेघालय	67	50	41
15	मिजोरम	57	35	34
16	नागालैंड	6	2	1
17	ओडिशा	1	15	11
18	पंजाब	0	0	53
19	राजस्थान	203	165	252
20	सिक्किम	7	27	5
21	तमिलनाडु	82	118	37
22	तेलंगाना	26	15	61
23	त्रिपुरा	12	32	34
24	उत्तर प्रदेश	14	78	19
25	उत्तराखंड	1	2	4
26	पश्चिम बंगाल	138	34	90
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45	28	25
28	दिल्ली	0	0	19
29	जम्मू और कश्मीर	58	22	25
